



स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा

प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक मानक 4*

प्रस्तावित ईएसएस 4 कसि बारे में है?

प्रस्तावित मानक में परियोजना की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित जोखिमों और परियोजना श्रमिकों और समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों के मूल्यांकन, नथिोजन, प्रबंधन और नगिरानी संबंधी अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।

मानक सुरक्षा नीति विवरण(2009) के तहत व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर आधारित है।

* ईएसएस4 का पूरा पाठ सुरक्षा नीति समीक्षा: मसौदा नीति| एशियाई विकास बैंक (adb.org). <https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy> पर है। यह सूचना विवरणिका प्रस्तावित पर्यावरण और सामाजिक रूरेखा (ईएसएफ) संबंधी परामर्श मसौदे के आधार पर केवल सूचनार्थ तैयार की गई थी। Q4 2023 में निर्धारित वर्कगि पेपर के हसिसे के रूप में प्रस्तावित पर्यावरणीय और सामाजिक रूरेखा (ईएसएफ) के पूरण पाठ पर एडीबी नदिशक मंडल से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाएगा। अंतमि ईएसएफ पर 2024 में एडीबी नदिशक मंडल द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा।



**SAFEGUARD
POLICY REVIEW
AND UPDATE**

ADB




मानक के उद्देश्य हैं :

- ✓ सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देकर, सुरक्षित, स्वस्थ और सुरक्षित कामकाजी परस्थितियां सुनिश्चित करके और किसी परियोजना के संभावित जोखिमों और प्रभावों की प्रकृति और पैमाने के अनुपात में सुरक्षात्मक उपाय लागू करके परियोजना श्रमिकों के स्वास्थ्य, संरक्षा और सुरक्षा की रक्षा करना। किसी परियोजना;
- ✓ स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभावों को पूर्वानुमान लगाना और बचाव करना और, जहां बचाव संभव नहीं है, शमन करना, न्यून करना और प्रतिक्रिया देने के लिए उपाय और प्रक्रियाएं स्थापित करना;



- ✓ बुनियादी ढांचे के डिजाइन और निर्माण में संभावित भूभौतिकीय और भौतिक जलवायु जोखिमों और प्रभावों पर विचार करना;
- ✓ परियोजना से संबंधित यातायात और सड़क सुरक्षा खतरों, बीमारियों और खतरनाक रसायनों, पदार्थों, सामग्रियों और कचरे से व्यक्तियों और समुदायों के जोखिम से बचाव करना, या जहां बचाव संभव नहीं है, न्यून करना और कम करना; और
- ✓ सुनिश्चित करना कि कर्मियों और संपत्तिकी सुरक्षा इस तरीके से की जाए जिससे परियोजना श्रमिकों और परियोजना-प्रभावित व्यक्तियों को जोखिम से बचाया जा सके।



नए नीतगित प्रावधान क्या हैं?

1



**घटना की
रिपोर्टिंग**

परियोजना गतविधियों को लागू करने के दौरान होने वाली कोई भी मृत्यु, दुर्घटना, चोट या खराब स्वास्थ्य, या जहां ऐसी कोई घटना होने की संभावना है, कर्रजदार/ग्राहक को जांच करनी होगी, दस्तावेजबद्ध करना होगा और नषिकर्षों का विश्लेषण करके घटना या उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय करने होंगे। किसी भी बड़ी घटना, मृत्यु या महत्वपूर्ण चोट के लिए वसित्त रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ भी इस प्रस्ताव में नरिधारति की गई हैं।

2



**यौन शोषण,
दुर्व्यवहार
और उत्पीड़न**

प्रस्तावति मानक में अपेक्षा की जाती है कि कर्रजदार/ग्राहक परियोजना शर्मिकों के साथ-साथ परियोजना प्रभावति व्यक्तियों के लिए यौन शोषण, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न (एसईएच) जोखमिों की पहचान करके उनका समाधान और प्रबंधन करे।

3



**आपातकालीन
तैयारी और
प्रतिक्रिया**

कर्रजदार/ग्राहक आपात स्थितिसे नपिटने के लिए उपायों की पहचान करेगा और उन्हें लागू करेगा। ऐसे उपायों को समन्वति और शीघ्र तरीके से किसी आपात स्थितिसे नपिटने के लिए डजिाइन कथिा जाएगा ताकि परियोजना शर्मिकों और परियोजना-प्रभावति व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और संरक्षा पर होने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम कथिा जा सके, शमन कथिा जा सके और क्षतपिूरति की जा सके।

4



**जमिमेदार
सुरक्षा कर्मिी**

जहां सुरक्षा कर्मियों को शर्मिकों या संपत्ति की सुरक्षा के लिए काम पर रखा जाता है, यह मानक कर्रजदार/ग्राहक से खतरों की प्रकृति और पैमाने के अनुपात में सुरक्षा प्रबंधन व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता होती है, ताकि ऐसे कर्मिी। परियोजना कर्मियों या परियोजना प्रभावति व्यक्तियों लिए खतरा न बनें।

5



बुनियादी रूपरेखाका डिजाइन और संरक्षा

कर्जदार/ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि परियोजना के संरचनात्मक तत्व मेजबान देश की सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, या यदि प्रासंगिक हो, तो परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों अन्य हितधारकों के स्वास्थ्य, संरक्षा और सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखते हुए उत्तम उद्योग प्रथा का पालन करें।

6



बांध सुरक्षा

नई या मौजूदा बांध परियोजनाओं के लिए, कर्जदार/ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि बांध सुरक्षा अपेक्षाओं को लागू करने के लिए मालिक द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्यावरणीय और सामाजिक मानक (ईएसएस 4) में बांध सुरक्षा के लिए वसित अपेक्षाएँ निर्धारित की गई हैं।

